फोन : 9350081629
9711111774

।। सत्य मेव जयते ।।

संयुक्त जन विकास कल्याण समिति रजि०

समस्त मीठापुर क्षेत्र

कायालय : A-11/183, मैंन सिन्धु फार्म रोड़, मीठापुर विस्तार, बदरपुर, नई दिल्ली-110044

पत्रांक 1027 दिनांक 14/11/11

OFFICE OF UDM
Dy. No. 4127
Date 23/11/11

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषय:— मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मीठापुर क्षेत्र को गलत तरीके से ओ जोन में दर्शाने के संदर्भ में।

मान्यवर जी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में मीठापुर क्षेत्र को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। मीठापुर क्षेत्र यमुना नदी से लगभग 6 से 8 किलोमीटर दूर है व इस क्षेत्र की सभी कालोनियाँ दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में दर्ज है इस क्षेत्र में लाखों की आबादी हैं, व यह क्षेत्र यमुना फ्रन्ट पर नही आता। मीठापुर क्षेत्र के पीछे हरियाणा के सेहतपुर गांव, ईस्मायलपुर, बसन्तपुर व अगवानपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व अधिकृत सैक्टर 91 हुडडा एरिया भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है इसीलिये मीठापुर क्षेत्र को ओ जोन के दायरे में लाया जाना तर्कसंगत नहीं होगा, जबकि दिल्ली में कई स्थान जो 1 किलोमीटर के दायरे में है, उनको भी आपने ओ–जोन से बाहर रखा है। यमुना नदी व मीठापुर क्षेत्र के बीच में हरियाणा की यह तमाम आबादी लगभग 6 किलोमीटर के चौड़ाई में बसी हुई है।

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया मीठापुर क्षेत्र को ओ जोन से निकालकर हमारे साथ लगते एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका अपना,

(वेदराम कसाना)
चैयरमैन

प्रतिलिपीः–
1– माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली– 110054
2– माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली।
3– माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, नई दिल्ली।
4– माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, सिविक सेटंर, नई दिल्ली।
5– माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6– श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली, 9 तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली।
7– श्री रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।